



चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : परीक्षा / डी०आर० / १०५१
दिनांक : 05.09.2024

विज्ञप्ति

विषय :- NEP-2020 के अन्तर्गत संचालित स्नातक पाठ्यक्रमों के उत्तीर्णांक, कक्षोन्नति, बैंक पेपर अथवा सुधार इत्यादि सम्बन्धी नियम।

कतिपय महाविद्यालय नियमों की सम्यक् जानकारी के अभाव में छात्रों को विश्वविद्यालय भेज दे रहे हैं, जिसके कारण छात्रों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। NEP-2020 के अन्तर्गत संचालित स्नातक पाठ्यक्रमों के उत्तीर्णांक, कक्षोन्नति, बैंक पेपर अथवा सुधार इत्यादि सम्बन्धी समस्त नियम विश्वविद्यालय वेबसाईट www.ccsuniversity.ac.in पर ससमय उपलब्ध कराये जाने के बावजूद भी नियमों का अनुपालन न करना चिन्ता का विषय है।

नियमों की प्रति इस पत्र के साथ पुनः इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि परीक्षा फार्म जमा करने अथवा छात्रों को अगली कक्षा में प्रवेश देने सम्बन्धी निर्णय नियमों के आलोक में लेने का कष्ट करें तथा छात्रों को अनावश्यक रूप से विश्वविद्यालय आने के निर्देश न प्रदान करें। यदि विश्वविद्यालय से कोई निर्देश/स्पष्टीकरण अपेक्षित है तो आत्म व्याख्यात्मक पत्र के माध्यम से महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय से सम्पर्क किया जाना चाहिए।

संलग्नक : NEP-2020 के अन्तर्गत संचालित स्नातक पाठ्यक्रमों के उत्तीर्णांक, कक्षोन्नति, बैंक पेपर अथवा सुधार इत्यादि सम्बन्धी नियम।

05/09/24
उप कुलसचिव (परीक्षा)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

01. प्राचार्य/प्राचार्या/विभागाध्यक्ष/समन्वयक/निदेशक, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ एवं चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर, मेरठ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
02. परीक्षा नियंत्रक, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ।
03. उप कुलसचिव (गोपनीय)।
04. प्रभारी-अति गोपनीय विभाग/कमेटी सैल/बी०एड० सैल/व्यवसायिक पाठ्यक्रम।
05. समन्वयक/प्रभारी-रिजल्ट सैल।
06. प्रभारी-कम्प्यूटर केन्द्र।
07. विश्वविद्यालय पूछताछ केन्द्र।
08. विश्वविद्यालय प्रेस प्रवक्ता।

उप कुलसचिव (परीक्षा)



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

Chaudhary Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : गोप0/1867
दिनांक : 25-10-2023

विज्ञप्ति

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (N.E.P-2020) के अन्तर्गत स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों (बी0ए0/बी0एससी0/बी0कॉम0) सम्बन्धित नियमों के प्रचार-प्रसार हेतु विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञप्ति संख्या-गोप0/150, दिनांक 01.02.2023 जारी की गयी थी। उक्त नियमों में मा0 कुलपति महोदया द्वारा गठित समिति की संस्तुति पर दिनांक 09.10.2023 को सत्र को समयबद्ध किये जाने हेतु विद्वत परिषद द्वारा कतिपय संशोधन किये गये हैं। दिनांक 12.10.2023 को आहूत कार्य परिषद में अनुमोदनोपरान्त दिनांक 01.02.2023 को जारी नियमों में आंशिक संशोधन करते हुए एतद्वारा विज्ञप्ति जारी की जा रही है :-

तालिका-1 (Table-1)

लेटर ग्रेड	विवरण	अंको की सीमा	ग्रेड पॉइंट
O	Outstanding	91-100	10
A ⁺	Excellent	81-90	9
A	Very good	71-80	8
B ⁺	Good	61-70	7
B	Above Average	51-60	6
C	Average	41-50	5
P	Pass	33-40	4
F	Fail	0-32	0
AB	Absent	Absent	0
Q	Qualified		
NQ	Not Qualified		

2. उत्तीर्ण प्रतिशत

- 2.1 Qualifying पेपर्स में Qualified के लिए Q ग्रेड तथा Not Qualified के लिए NQ ग्रेड दिया जायेगा।
- 2.2 उपरोक्त तालिका में मुख्य एवं माइनर विषयों का प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी) Credit course है तथा इन सभी का उत्तीर्ण प्रतिशत अब तक प्रचलित 33 प्रतिशत ही होगा।
- 2.3 छःसह-पाठ्यक्रम कोर्स (co-curricular courses) तथा तृतीय वर्ष में लघु शोध (Minor project) Qualifying हैं तथा इनके उत्तीर्णक 40% होंगे।
- 2.4 कौशल विकास/रोजगार परक कोर्स/पेपर का मूल्यांकन कुल पूर्णांक 100 में से होगा। जिनमें से प्रशिक्षण/ट्रेनिंग/प्रैक्टिकल आधारित कार्य का मूल्यांकन 60 अंकों में से होगा तथा सैद्धांतिक (Theory) आधारित कार्य का मूल्यांकन 40 अंकों में से होगा। उल्लेखनीय है कि चारों कौशल विकास कोर्स में आन्तरिक परीक्षाये सम्पन्न नहीं करायी जायेगी। कौशल विकास कोर्स/पेपर में कुल पूर्णांक 100 में से न्यूनतम उत्तीर्णक 40 होंगे। प्रशिक्षण/ट्रेनिंग एवं सैद्धांतिक (Theory) में अलग-अलग कोई न्यूनतम उत्तीर्णक नहीं होंगे।

Vocational/Skill Development विषयों की परीक्षाओं का आयोजन विश्वविद्यालय द्वारा न करवाकर सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा करवाया जायेगा। ऐसे छात्र जिनके Skill Development पाठ्यक्रम में 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त होते हैं, की उत्तर पुस्तिका विश्वविद्यालय में भेजना अनिवार्य होगा।

- 2.5 सभी विषयों के मुख्य/माइनर/सह-पाठ्यक्रम/लघु शोध के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी) में अधिकतम अंक 100 में से प्राप्तांकों की गणना 25 अंकों के सतत् आन्तरिक मूल्यांकन व 75 अंकों की विश्वविद्यालय (बाह्य) परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ कर की जायेगी।
- 2.6 मुख्य एवं माइनर विषयों के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी) में उत्तीर्ण होने हेतु (अ) विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 75 अंकों में से न्यूनतम 25 अंक (75 का 33 प्रतिशत) लाने आवश्यक होंगे तथा (ब) आन्तरिक एवं बाह्य परीक्षाओं में कुल मिलाकर न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करने होंगे।

क्रमश.....02


- 2.7 सह-पाठ्यक्रम/लघु शोध विषयों के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रेक्टिकल सभी) में उत्तीर्ण होने हेतु (अ) विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 75 अंकों में से न्यूनतम 30 अंक (75 का 40 प्रतिशत) लाने आवश्यक होंगे तथा (ब) आन्तरिक एवं बाह्य परीक्षाओं में कुल मिलाकर न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करने होंगे।
- 2.8 किसी भी कोर्स/पेपर के आन्तरिक मूल्यांकन में कोई भी न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत नहीं है। यदि किसी विद्यार्थी को आन्तरिक मूल्यांकन में शून्य अंक व बाह्य परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 33 (मुख्य एवं माइनर विषयों में) अथवा 40 (सह-पाठ्यक्रम/लघु शोध विषयों में) प्रतिशत अंक मिलते हैं, तब भी वह उत्तीर्ण होगा। आन्तरिक मूल्यांकन में पूर्ण अनुपस्थिति पर भी शून्य अंक ही मिलेंगे।
- 2.9 किसी भी प्रकार के कृपांक (Grace marks) नहीं दिये जायेंगे।
- 2.10 इस नियम को विलोपित (Delete) दिया गया है।
- 2.11 यदि कोई छात्र/छात्रा मेजर/माइनर विषयों की विश्वविद्यालय परीक्षा (बाह्य परीक्षा) में न्यूनतम निर्धारित 25 अंक प्राप्त करने में असफल रहता है तो परीक्षा परिणाम में बाह्य परीक्षा के सम्मुख F (Fail) अंकित किया जायेगा।
- 2.12 यदि कोई छात्र/छात्रा मेजर/माइनर विषयों की बाह्य परीक्षा एवं आन्तरिक परीक्षा में कुल मिलाकर न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करने में असफल रहता है तो बाह्य एवं आन्तरिक परीक्षा के योग के सम्मुख F (Fail) अंकित किया जायेगा।
- 2.13 इस नियम को विलोपित (Delete) दिया गया है।

3. कक्षान्नोति (Promotion)

- 3.1 विद्यार्थी को वर्तमान सेमेस्टर से अगले सेमेस्टर में सदैव प्रोन्नत किया जायेगा, चाहे वर्तमान विषय सेमेस्टर का परिणाम कुछ भी हो (पूर्व नियम को इस नियम से प्रतिस्थापित किया गया)।
- 3.2 इस नियम को विलोपित (Delete) दिया गया है।
- 3.3 इस नियम को विलोपित (Delete) दिया गया है।

4. बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) परीक्षा

- 4.1 आन्तरिक परीक्षा में बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) हेतु परीक्षा नहीं होगी। केवल पूर्ण सेमेस्टर को बैक परीक्षा के रूप में दोबारा देने की स्थिति में विश्वविद्यालय परीक्षा के साथ आन्तरिक मूल्यांकन भी किया जा सकता है किंतु एक विद्यार्थी दो पूर्ण सेमेस्टर्स की संपूर्ण परीक्षाएं एक साथ नहीं दे सकेगा।
- 4.2 विद्यार्थी को बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) की सुविधा सम (विषय) सेमेस्टर्स के पेपर्स के लिए सम (विषय) सेमेस्टर्स में ही उपलब्ध होगी।
- 4.3 विद्यार्थी को बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) हेतु परीक्षा के लिए कोर्स/पेपर तथा उसका पाठ्यक्रम (Syllabus) वही होगा जो उस वर्तमान सेमेस्टर जिसमें वह परीक्षा दे रहा है में उपलब्ध होगा।
- 4.4 विद्यार्थी बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) हेतु किसी भी कोर्स/पेपर की विश्वविद्यालय (बाह्य) परीक्षा काल बाधित न होने तक चाहे कितनी भी बार दे सकता है किंतु यह व्यवस्था वर्तमान वर्ष से केवल 1 वर्ष पहले के पेपर्स के लिए ही उपलब्ध होगी।
- 4.5 कोई छात्र/छात्रा एक सेमेस्टर में एक साथ दो से अधिक स्किल डेवलपमेंट कोर्स (कौशल विकास पाठ्यक्रम) की परीक्षा नहीं दे सकेगा।
- 4.6 कोई छात्र/छात्रा एक सेमेस्टर में एक साथ दो से अधिक को-करिकुलर कोर्स की परीक्षा नहीं दे सकेगा।
- 4.7 सी0बी0सी0एस0 प्रणाली में पूर्ण सेमेस्टर के सभी पेपर्स में अनुपस्थित अथवा अनुत्तीर्ण होने पर ही विद्यार्थी पूर्ण सेमेस्टर की परीक्षा देगा। यदि विद्यार्थी ने कुछ पेपर उत्तीर्ण कर लिए हैं तो भविष्य के सेमेस्टर के साथ विद्यार्थी को उन्हीं पेपर्स की परीक्षा बैक पेपर के रूप में उत्तीर्ण करनी होगी जिन पेपर्स में वह पहले अनुपस्थित अथवा अनुत्तीर्ण रहा था।
- 4.8 वर्तमान सेमेस्टर का विद्यार्थी पिछले किसी एक सेमेस्टर के अधिकतम 18 क्रेडिट के पेपर्स की परीक्षा में बैक पेपर के रूप में सम्मिलित होने हेतु अनुमत होगा। उदाहरणार्थ—तृतीय सेमेस्टर में अध्ययनरत् विद्यार्थी तृतीय सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा के साथ प्रथम सेमेस्टर के अधिकतम 18 क्रेडिट के पेपर कोड की बैक पेपर की परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनुमत होगा।
- 4.9 ऐसे छात्र/छात्रा जो प्रयोगात्मक परीक्षा में अनुपस्थित अथवा अनुत्तीर्ण होते हैं, को बैक पेपर के रूप में सम्मिलित होकर प्रयोगात्मक परीक्षा उत्तीर्ण करना अनुमत होगा।



4.10 चूंकि पंचम एवं प्रथम सेमेस्टर तथा छठे एवं द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएँ एक ही तिथि एवं समय पर आयोजित होती है इसलिये पंचम सेमेस्टर एवं छठे सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे परीक्षार्थियों को क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा के बैक पेपर में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। ऐसे छात्र जो पंचम एवं छठे सेमेस्टर तक भी प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर की कुछ परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण रह जाते हैं, को छठा सेमेस्टर पूर्ण कर लेने के पश्चात् ही प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर की बैक पेपर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

5. काल अवधि

किसी भी एक वर्ष को पूरा करने की अधिकतम अवधि तीन वर्ष होगी।

व्याख्या:- (Explanation) यदि विद्यार्थी सत्ता में तीनों वर्ष की पढ़ाई करता है तो उसे अधिकतम नौ वर्ष मिलेंगे किन्तु यदि विद्यार्थी किसी एक वर्ष का सर्टिफिकेट/डिप्लोमा लेकर चला जाता है तो वह बाकी के वर्षों की पढ़ाई दोबारा शुरू करने के लिए कभी भी वापस आ सकता है तथा उसे आगे के वर्षों की पढ़ाई पूरा करने के लिए तीन वर्ष (प्रति एक वर्ष की पढ़ाई) के मिलेंगे।

6. SGPA एवं CGPA की गणना

6.1 SGPA एवं CGPA की गणना निम्नवत सूत्रों से की जाएगी:-

$SGPA (S_j) = \frac{\sum(C_i \times G_i)}{\sum C_i}$	यहाँ पर: C_i = number of credits of the i th course in j th semester. G_i = grade point scored by the student in the i th course in j th semester.
$CGPA = \frac{\sum(C_j \times S_j)}{\sum C_j}$	यहाँ पर: S_j = SGPA of the j th semester. C_j = total number of credits in the j th semester.

6.2 CGPA को प्रतिशत अंको में निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिवर्तित किया जायेगा:

$$\text{समतुल्य प्रतिशत} = CGPA \times 9.5$$

6.3 विद्यार्थियों को निम्नवत सारणी के अनुसार श्रेणी (Division) प्रदान की जाएगी:

तालिका-2 (Table-2)

श्रेणी	वर्गीकरण
प्रथम श्रेणी	6.50 अथवा उससे अधिक तथा 10.00 अथवा उससे कम CGPA
द्वितीय श्रेणी	5.00 अथवा उससे अधिक तथा 6.50 से कम CGPA
तृतीय श्रेणी	4.00 अथवा उससे अधिक तथा 5.00 से कम CGPA

6.4 SGPA & CGPA की गणना छात्र/छात्रा द्वारा परीक्षा फार्म में भरे गये पेपर्स के कुल ग्रेड वैल्यू को कुल क्रेडिट से भाग देकर की जायेगी।

7. शोध परियोजना के विषय में निर्णय :-

समिति ने स्नातक स्तर तृतीय वर्ष में किये जाने वाले लघु शोध प्रबन्ध के विषय में शासनादेश दिनांक 13.07.2021 के आलोक में निम्न सुझाव दिये :-

1. स्नातक स्तर पर विद्यार्थी को तीसरे वर्ष के पंचम व छठे सेमेस्टर में मिलाकर एक लघु शोध परियोजना करनी होगी।
2. यह शोध परियोजना विद्यार्थी द्वारा चुने गये तीसरे वर्ष के दो मुख्य विषय में से किसी एक विषय से सम्बन्धित होगी। यह शोध परियोजना इण्डस्ट्रीयल ट्रेनिंग/इण्टरनशिप/सर्वे वर्क इत्यादि के रूप में भी हो सकती है।
3. शोध परियोजना सम्बन्धित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसर के विभाग के एक शिक्षक सुपरवाइजर के निर्देशन में की जायेगी, एक अन्य को-सुपरवाइजर किसी उद्योग/कम्पनी/तकनीकी संस्थान/शोध संस्थान से लिया जा सकता है।

4. विद्यार्थी वर्ष के अन्त में दोनों सेमेस्टर्स में की गयी शोध परियोजना का संयुक्त प्रबन्ध (Report/ Dissertation) जमा करेगा। जिसका मूल्यांकन वर्ष के अन्त में सुपरवाईजर एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित बाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से 100 अंकों में से किया जायेगा। जिसके उत्तीर्णांक 40 होंगे। यह शोध परियोजना केवल क्वालीफाईंग होगी, जिसमें 40 अथवा उससे अधिक अंक पाने पर Q Grade तथा 40 से कम अंक पाने पर NQ Grade दिया जायेगा।

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों/संस्थानों के प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक से अनुरोध है कि उक्त नियमों से स्वयं अवगत होते हुए अपने छात्र/छात्राओं को भी अवगत कराने का कष्ट करें।


परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि :-

1. वैयक्तिक सहायक, कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. वैयक्तिक सहायक, कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
3. वैयक्तिक सहायक, परीक्षा नियंत्रक को परीक्षा नियंत्रक महोदय के सूचनार्थ।
4. प्रभारी, कम्प्यूटर केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों/संस्थानों को इस आशय से कि छात्र/छात्राओं को अपने स्तर से उक्त नियमों के सम्बन्ध में अवगत कराने का कष्ट करें।
6. प्रभारी, वेबसाईट चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को वेबसाईट एवं एन0ई0पी0 पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
7. प्रेस प्रवक्ता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को उक्त विज्ञप्ति समस्त राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करने हेतु।

उप कुलसचिव (गोपनीय)